



NAVEEN GOVERNMENT SANGEET COLLEGE DURG (C.G.)

Affiliated to Indira Kala Sangeet University Khairagarh

नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय, दुर्ग, छग

HANDBOOK

CODE OF CONDUCT **(आचरण संहिता)**

**FOR STUDENTS, TEACHERS,
PRINCIPAL AND NON-TEACHING STAFF**

PRINCIPAL

Naveen Government Sangeet College Durg (CG)

Drafted by

IQAC

Internal Quality Assurance Cell

हिन्दी अंग्रेजी और संस्कृत में

आचरण संहिता

नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़

प्रस्तावना

शासकीय संगीत महाविद्यालय, दुर्ग, एक जीवंत और समृद्ध शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए समर्पित है जो कलात्मक उत्कृष्टता, अकादमिक कठोरता और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है। यह आचार संहिता हमारे कॉलेज समुदाय के प्रत्येक सदस्य: छात्रों, शिक्षण कर्मचारियों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों, आगंतुकों और प्राचार्य के लिए अपेक्षित व्यवहार और आचरण के मानकों को रेखांकित करती है। इन सिद्धांतों का पालन संगीत शिक्षा और समग्र विकास के लिए आवश्यक एक सम्मानजनक, सुरक्षित, समावेशी और अनुकूल वातावरण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

सभी के लिए मूल सिद्धांत

सम्मान और गरिमा:

सभी व्यक्तियों के साथ सम्मान, गरिमा और शिष्टाचार के साथ व्यवहार करें, चाहे उनका लिंग, जाति, पंथ, धर्म, यौन रुझान, विकलांगता, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, या कोई अन्य व्यक्तिगत विशेषता कुछ भी हो। उत्पीड़न, भेदभाव, धमकाने और किसी भी प्रकार के अपमानजनक व्यवहार को सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है।

सत्यनिष्ठा और नैतिकता:

कॉलेज के भीतर सभी व्यावसायिक, शैक्षणिक और व्यक्तिगत व्यवहारों में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखें। ऐसे किसी भी हितों के टकराव से बचें जो कॉलेज के मूल्यों या प्रतिष्ठा से समझौता कर सकते हैं।

व्यावसायिकता:

कॉलेज से संबंधित सभी बातचीत और गतिविधियों में एक पेशेवर आचरण बनाए रखें।

सुरक्षा और कल्याण:

सभी के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में सक्रिय रूप से योगदान दें। सुरक्षा, उत्पीड़न, या शत्रुतापूर्ण वातावरण से संबंधित किसी भी चिंता की सूचना तुरंत उचित कॉलेज अधिकारियों को दी जानी चाहिए।

कॉलेज संपत्ति और संसाधनों का उपयोग:

कॉलेज की संपत्ति, वाद्ययंत्र, उपकरण, पुस्तकालय संसाधनों और सुविधाओं का सावधानी और सम्मान के साथ व्यवहार करें। कॉलेज की संपत्ति का दुरुपयोग, क्षति या चोरी सख्ती से प्रतिबंधित है।

अनुशासन और व्यवस्था:

प्रशासन, संकाय और पर्यवेक्षी कर्मचारियों द्वारा जारी सभी कॉलेज नियमों, विनियमों और निर्देशों का पालन करें। कक्षाओं, अभ्यास कक्षों, प्रदर्शन हॉलों, पुस्तकालय और सभी सामान्य क्षेत्रों में अनुशासन बनाए रखें।

समावेशिता और सहयोग:

एक समावेशी वातावरण को बढ़ावा दें जो विविधता को महत्व देता है और सभी सदस्यों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है। विभिन्न कलात्मक दृष्टिकोणों, सीखने की शैलियों और कार्य करने के तरीकों का समर्थन और सम्मान करें।

अनुपालन:

राज्य सरकार, यूजीसी, और अन्य प्रासंगिक नियामक निकायों द्वारा जारी सभी कानूनों, अधिनियमों, अध्यादेशों और दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

विशिष्ट दिशानिर्देश

छात्रों के लिए

उपस्थिति और समय की पाबंदी:

सभी कक्षाओं, रिहर्सल, प्रदर्शनों और परीक्षाओं में समय पर उपस्थित रहें। उचित अनुपस्थिति की सूचना संबंधित संकाय सदस्य को पहले से दी जानी चाहिए।

अभ्यास कक्ष शिष्टाचार:

अभ्यास कक्षों का जिम्मेदारी से उपयोग करें, समय-सीमा का पालन करें, उन्हें साफ-सुथरा छोड़ें, और दूसरों की निजता और जरूरतों का सम्मान करें।

प्रदर्शन शिष्टाचार:

मंच प्रदर्शनों के दौरान, एक कलाकार और एक दर्शक के रूप में, उचित शिष्टाचार बनाए रखें।

पोशाक संहिता:

विशेष रूप से कक्षाओं, कॉलेज कार्यक्रमों और सार्वजनिक मंच प्रदर्शनों के दौरान, संस्था की गरिमा को दर्शाते हुए एक शालीन और उचित पोशाक संहिता का पालन करें।

मोबाइल फ़ोन:

कक्षाओं, रिहर्सल और प्रदर्शनों के दौरान मोबाइल फ़ोन बंद या साइलेंट मोड में रखे जाने चाहिए ताकि कोई व्यवधान न हो।

मादक द्रव्यों का सेवन:

कॉलेज परिसर में या कॉलेज से संबंधित गतिविधियों के दौरान शराब, अवैध दवाओं, या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन या कब्ज़ा सख्ती से प्रतिबंधित है।

रैगिंग:

रैगिंग किसी भी रूप में एक गंभीर अपराध है और इसे सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। रैगिंग में किसी भी प्रकार की संलिप्तता से सरकारी नियमों के अनुसार गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करना:

दुर्व्यवहार, उत्पीड़न, या सुरक्षा चिंताओं की किसी भी घटना की सूचना तुरंत डीन, विभागाध्यक्ष, एंटी-रैगिंग कमेटी, या महिला शिकायत प्रकोष्ठ को दें।

शैक्षणिक स्टाफ के लिए

व्यावसायिक आचरण:

शिक्षण, अनुसंधान, और छात्रों, सहकर्मियों और प्रशासन के साथ बातचीत में व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों को बनाए रखें।

निष्पक्षता

किसी भी व्यक्तिगत विशेषता के आधार पर किसी भी पूर्वाग्रह या भेदभाव के बिना, सभी छात्रों के साथ निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से व्यवहार करें।

पाठ्यक्रम वितरण:

पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से वितरित करें, महत्वपूर्ण सोच, कलात्मक कौशल विकास और संगीत के प्रति प्रेम को बढ़ावा दें।

गोपनीयता:

छात्र अभिलेखों और संवेदनशील कॉलेज जानकारी की गोपनीयता बनाए रखें।

परामर्श और मार्गदर्शन:

छात्रों को प्रभावी परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करें, उनके शैक्षणिक, कलात्मक और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दें।

नैतिक अनुसंधान:

किसी भी अनुसंधान को नैतिक रूप से संचालित करें, स्रोतों और सहयोगियों को उचित श्रेय दें।

नीतियों का पालन:

सभी कॉलेज प्रशासनिक नीतियों और प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करें।

प्राचार्य के लिए

दूरदर्शी नेतृत्व:

एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ कॉलेज का नेतृत्व करें, उच्च शैक्षणिक और कलात्मक मानक स्थापित करें, और निरंतर सुधार और नवाचार के माहौल को बढ़ावा दें।

सत्यनिष्ठा और नैतिकता:

नीतियों, नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन करें, और उनके सुधार में योगदान दें। सभी व्यावसायिक और व्यक्तिगत व्यवहारों में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और नैतिक आचरण के उच्चतम स्तर का प्रदर्शन करें। किसी भी हितों के टकराव से बचें।

निष्पक्षता:

सभी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में निष्पक्षता परिलक्षित हो।

जवाबदेही और पारदर्शिता:

कॉलेज के प्रदर्शन, वित्तीय प्रबंधन और नियमों और विनियमों के पालन के लिए जवाबदेह बनें। जहां उचित हो, प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा दें।

संसाधन प्रबंधन:

संस्थान के अधिकतम लाभ के लिए वित्तीय, भौतिक और मानवीय संपत्तियों सहित कॉलेज संसाधनों के कुशल और जिम्मेदार प्रबंधन को सुनिश्चित करें।

संचार और सहयोग

: कॉलेज के भीतर और बाहरी हितधारकों के साथ खुले, स्पष्ट और प्रभावी संचार चैनल बनाए रखें। एक सहयोगात्मक वातावरण को बढ़ावा दें।

छात्र कल्याण:

छात्रों के कल्याण, सुरक्षा और समग्र विकास को प्राथमिकता दें। सुनिश्चित करें कि मजबूत शिकायत निवारण तंत्र मौजूद हैं।, वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता के साथ कार्य करें, सभी के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करें।

कर्मचारी संबंध:

सभी संकाय और कर्मचारियों के सदस्यों के साथ सौहार्दपूर्ण और पेशेवर संबंध बनाए रखें, चिंताओं का तुरंत और निष्पक्ष रूप से समाधान करें।

नियमों का अनुपालन:

छत्तीसगढ़ सरकार, यूजीसी, और अन्य संबंधित शैक्षिक निकायों द्वारा जारी सभी नियमों, विनियमों, अधिनियमों और दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

सामुदायिक जुड़ाव:

स्थानीय समुदाय के साथ सकारात्मक संबंध बनाएं, कॉलेज की सांस्कृतिक भूमिका को बढ़ावा दें और आउटरीच गतिविधियों में संलग्न हों।

आगंतुकों के लिए

कॉलेज के नियमों का सम्मान :

सभी आगंतुकों से अपेक्षा की जाती है कि वे परिसर में रहते हुए कॉलेज के नियमों और विनियमों का सम्मान करें।

भ्रमण का उद्देश्य:

आगंतुकों को अपने भ्रमण का उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताना होगा और संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी होगी।

व्यवहार:

अपनी यात्रा के दौरान सम्मानजनक और उचित व्यवहार बनाए रखें। किसी भी विघटनकारी या अनुचित आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पहचान

आगंतुकों को कॉलेज के प्रवेश द्वारों पर वैध पहचान दिखानी और साइन इन/आउट करना पड़ सकता है।

आचार संहिता का उल्लंघन

इस आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से देखा जाएगा और अपराध की गंभीरता के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, जिसमें चेतावनी से लेकर निलंबन, निष्कासन, सेवा समाप्ति, या यहां तक कि कानूनी कार्रवाई तक शामिल है। अनुशासनात्मक कार्रवाई कॉलेज की अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं और लागू सरकारी नियमों और विनियमों के अनुसार की जाएगी।

समीक्षा और संशोधन

इस आचार संहिता की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और कॉलेज प्रशासन द्वारा, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार के परामर्श से, इसकी निरंतर प्रासंगिकता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जाने पर इसमें संशोधन किया जा सकता है।

घोषणा

शासकीय संगीत महाविद्यालय, दुर्ग में सभी छात्रों, शिक्षण कर्मचारियों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों, आगंतुकों और प्राचार्य को इस आचार संहिता को पढ़, समझ और पालन करने के लिए सहमत माना जाएगा।

Code of Conduct

Government Music College, Durg, Chhattisgarh

Preamble

The Government Music College, Durg, is dedicated to cultivating a vibrant and enriching learning environment that promotes artistic excellence, academic rigor, and personal growth. This Code of Conduct outlines the expected standards of behavior and conduct for every member of our college community: students, teaching staff, non-teaching staff, visitors, and the Principal. Adherence to these principles is crucial for maintaining a respectful, safe, inclusive, and conducive atmosphere essential for musical education and holistic development.

Core Principles for All

Respect and Dignity:

Treat all individuals with respect, dignity, and courtesy, regardless of their gender, caste, creed, religion, sexual orientation, disability, socio-economic background, or any other personal attribute. Harassment, discrimination, bullying, and any form of disrespectful behavior are strictly prohibited.

Integrity and Ethics:

Uphold the highest standards of integrity, honesty, and ethical conduct in all professional, academic, and personal dealings within the college. Avoid any conflict of interest that could compromise the college's values or reputation.

Professionalism:

Maintain a professional demeanor in all interactions and activities related to the college. This includes punctuality, responsible use of college resources, appropriate attire, and respectful communication.

Safety and Well-being:

Contribute actively to a safe and secure environment for everyone. Any concerns regarding safety, harassment, or a hostile environment must be reported to the appropriate college authorities immediately.

Responsible Use of College Property and Resources:

Treat college property, instruments, equipment, library resources, and facilities with care and respect. Misuse, damage, or theft of college property is strictly prohibited.

Discipline and Order:

Adhere to all college rules, regulations, and instructions issued by the administration, faculty, and supervisory staff. Maintain discipline in classrooms, practice rooms, performance halls, library, and all common areas.

Inclusivity and Collaboration:

Foster an inclusive environment that values diversity and encourages collaboration among all members. Support and respect different artistic perspectives, learning styles, and working approaches.

Compliance:

Strictly adhere to all laws, acts, ordinances, and guidelines issued by the State Government, UGC, and other relevant regulatory bodies.

Specific Guidelines

For Students

Attendance and Punctuality:

Attend all classes, rehearsals, performances, and examinations punctually. Justified absences must be communicated to the concerned faculty member in advance.

Practice Room Etiquette:

Use practice rooms responsibly, adhering to time limits, leaving them clean, and respecting the privacy and needs of others.

Performance Etiquette:

Maintain appropriate decorum during performances, both as a performer and as an audience member.

Dress Code:

Adhere to a modest and appropriate dress code, especially during classes, college events, and public performances, reflecting the dignity of the institution. Specific guidelines for performance attire will be provided.

Mobile Phones:

Mobile phones must be switched off or kept in silent mode during classes, rehearsals, and performances to avoid disturbance.

Substance Abuse:

Consumption or possession of alcohol, illegal drugs, or any intoxicating substances on college premises or during college-related activities is strictly prohibited.

Ragging:

Ragging in any form is a serious offense and is strictly prohibited. Any involvement in ragging will lead to severe disciplinary action as per government regulations.

Reporting Misconduct:

Report any incidents of misconduct, harassment, or safety concerns immediately to the Dean, Head of Department, Anti-Ragging Committee, or the Women's Grievance Cell.

For Teaching Staff

Professional Conduct:

Maintain the highest standards of professionalism in teaching, research, and interaction with students, colleagues, and administration.

Fairness and Impartiality:

Treat all students fairly and impartially, without any bias or discrimination based on any personal attribute.

Curriculum Delivery:

Deliver the curriculum effectively, fostering critical thinking, artistic skill development, and a love for music.

Confidentiality:

Maintain confidentiality of student records and sensitive college information.

Mentorship and Guidance:

Provide effective mentorship and guidance to students, fostering their academic, artistic, and personal development.

Ethical Research:

Conduct any research ethically, giving proper credit to sources and collaborators.

Adherence to Policies:

Strictly adhere to all college policies, rules, and regulations, and contribute to their improvement.

For Non-Teaching Staff

Diligence and Efficiency:

Perform duties with diligence, efficiency, and dedication, supporting the smooth functioning of the college.

Professional Conduct:

Maintain a professional and courteous demeanor when interacting with students, faculty, visitors, and other staff members.

Confidentiality:

Maintain confidentiality of sensitive college and personal information.

Resource Management:

Handle college property and resources responsibly and efficiently.

Support Services:

Provide effective and timely support services to students and faculty, contributing to a positive learning environment.

Adherence to Policies:

Strictly adhere to all college administrative policies and procedures.

For the Principal

Visionary Leadership:

Lead the college with a clear vision, setting high academic and artistic standards, and fostering an environment of continuous improvement and innovation.

Integrity and Ethics:

Demonstrate the highest level of integrity, honesty, and ethical conduct in all professional and personal dealings. Avoid any conflict of interest.

Fairness and Impartiality:

Act with fairness, objectivity, and impartiality in all decision-making processes, ensuring equitable treatment for all.

Accountability and Transparency:

Be accountable for the college's performance, financial management, and adherence to rules and regulations. Promote transparency in administration where appropriate.

Resource Management:

Ensure efficient and responsible management of college resources, including financial, physical, and human assets, for the optimal benefit of the institution.

Communication and Collaboration:

Maintain open, clear, and effective communication channels within the college and with external stakeholders. Foster a collaborative environment.

Student Welfare:

Prioritize the welfare, safety, and holistic development of students. Ensure robust grievance redressal mechanisms are in place.

Staff Relations:

Maintain harmonious and professional relationships with all faculty and staff members, addressing concerns promptly and fairly.

Compliance with Regulations:

Ensure strict adherence to all rules, regulations, acts, and guidelines issued by the Government of Chhattisgarh, UGC, and other relevant educational bodies.

Community Engagement:

Foster positive relationships with the local community, promoting the college's cultural role and engaging in outreach activities.

For Visitors

Respect College Rules:

All visitors are expected to respect the college's rules and regulations while on campus.

Purpose of Visit:

Visitors must clearly state the purpose of their visit and obtain necessary permissions from the concerned authorities.

Behavior:

Maintain respectful and appropriate behavior during their visit. Any disruptive or inappropriate conduct will not be tolerated.

Identification:

Visitors may be required to show valid identification and sign in/out at the college entry points.

Violation of the Code of Conduct

Any violation of this Code of Conduct will be dealt with seriously and may result in disciplinary action, ranging from a warning to suspension, rustication, termination of service, or even legal action, depending on the severity of the offense. Disciplinary actions will be taken in accordance with the college's disciplinary procedures and applicable government rules and regulations.

Review and Amendment

This Code of Conduct will be reviewed periodically and may be amended as deemed necessary by the college administration, in consultation with the Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh, to ensure its continued relevance and effectiveness.

Declaration

All the students, teaching staff, non-teaching staff, visitors, and the Principal of Naveen Government Sangeet College, Durg, CG are deemed to have read, understood, and agreed to abide by this Code of Conduct.

आचरण संहिता :

नवीनं शासकीयं संगीत महाविद्यालयः, दुर्गः, छत्तीसगढः

प्रस्तावना

शासकीयं संगीत महाविद्यालयः, दुर्गः, कला-उत्कृष्टतायाः, शैक्षिक-कठोरतायाः च व्यक्तिगतविकासस्य च संवर्धनाय संनादति जीवन्तं समृद्धं च शिक्षणवातावरणं प्रदातुं समर्पितः। एषा आचरणसंहिता अस्माकं महाविद्यालय-समुदायस्य सर्वं प्रति अपेक्षितं व्यवहारं आचरणस्य च मानकान् संनिरूपति, यथा—छात्राः, शिक्षकाः, अशिक्षक-कर्मचारिणः, आगन्तुकाः, प्राचार्यश्च। एतत् सिद्धान्तानां पालनं संगीत-शिक्षणाय समग्र-विकासाय च आदरपूर्णं, सुरक्षितं, समावेशि, अनुकूलं च वातावरणं संरक्षति यत् आवश्यकं भवति।

सर्वं प्रति मूलसिद्धान्ताः

आदरः सम्मानं च

सर्वं प्रति, तस्य लिङ्गं, जातिः, पन्थाः, धर्मः, यौन-प्रवृत्तिः, वैकल्यं, सामाजिक-आर्थिक-पृष्ठभूमिः वा अन्यं किमपि वैयक्तिकं लक्षणं यद् भवति, तं सम्मानेन, गौरवेण, सौजन्येन च व्यवहरेत्। उत्पीडनं, भेदभावः, संनादति-आचरणं, सर्वं च अपमानजनकं व्यवहारं निषिद्धं भवति।

सत्यनिष्ठा नैतिकता च

महाविद्यालये सर्वं व्यावसायिकं, शैक्षिकं, वैयक्तिकं च व्यवहारं सत्यनिष्ठायाः, ईमानस्य, नैतिक-आचरणस्य च उच्चतमं मानकं संरक्षेत्। यत् किमपि हित-संनादति यत् महाविद्यालयस्य मूल्यं प्रतिष्ठां वा संनादति तत् परिहरेत्।

व्यावसायिकता

महाविद्यालयेन संनादति सर्वं संनादति गतिविधीषु च व्यावसायिकं आचरणं संरक्षेत्। एतत् समयस्य पालने, महाविद्यालय-संसाधनानां उत्तरदायित्वेन उपयोगः, उचितं वस्त्र-धारणं, आदरपूर्णं संनादति च संनादति।

सुरक्षा कल्याणं च

सर्वं प्रति सुरक्षितं संरक्षितं च वातावरणं संनादति सक्रियं योगदानं ददातु। सुरक्षायाः, उत्पीडनस्य, शत्रुतापूर्ण-वातावरणस्य वा संनादति काचित् चिन्ता तत्क्षणं समुचितं महाविद्यालय-प्राधिकारिणः संनादति विज्ञापनीया।

महाविद्यालय-सम्पत्तिः संसाधनानां च उपयोगः

महाविद्यालयस्य सम्पत्तेः, वाद्ययन्त्राणां, उपकरणानां, पुस्तकालय-संसाधनानां, सुविधानां च सावधानीपूर्वकं सम्मानेन च व्यवहरेत्। महाविद्यालय-सम्पत्तेः दुरुपयोगः, क्षतिः, चौर्यं वा निषिद्धं भवति।

अनुशासनं व्यवस्था च

प्रशासनेन, संकायेन, पर्यवेक्षक-कर्मचारिभिः च प्रदत्तं सर्वं महाविद्यालय-नियमं, विनियमं, निर्देशं च पालनीयं। कक्षासु, अभ्यास-कक्षेषु, प्रदर्शन-मण्डपेषु, पुस्तकालये, सर्वं च सामान्य-क्षेत्रेषु अनुशासनं संरक्षेत्।

समावेशिता सहयोगः च

विविधतां संनादति संनादति समावेशि वातावरणं संवर्धयेत् यत् सर्वं समुदाय-सदस्यानां मध्ये सहयोगं प्रोत्साहति। भिन्नं कलात्मकं दृष्टिकोणं, शिक्षण-शैलीः, कार्य-प्रणालीः च समर्थति सम्मानति च।

अनुपालनम्

राज्य-शासनेन, विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोगेन, अन्यं च प्रासङ्गिकं नियामक-सङ्घैः प्रदत्तं सर्वं विधानं, अधिनियमं, अध्यादेशं, दिशानिर्देशं च कठोरतः पालनीयं।

विशिष्टं दिशानिर्देशाः

छात्रेभ्यः

उपस्थितिः समयपालनं च

सर्वं कक्षासु, संनादति, प्रदर्शनेषु, परीक्षासु च समयेन उपस्थितः भवेत्। उचितं अनुपस्थितेः सूचना संनादति संकाय-सदस्याय पूर्वं दातव्या।

अभ्यास-कक्ष-शिष्टाचारः

अभ्यास-कक्षानां उत्तरदायित्वेन उपयोगः कुर्यात्, समय-सीमायाः पालनं कुर्यात्, तान् स्वच्छं निर्मलं च त्यजेत्, अन्येषां गोपनीयतां आवश्यकतां च सम्मानति।

प्रदर्शन-शिष्टाचारः

प्रदर्शनेषु कलाकाररूपेण दर्शकरूपेण वा उचितं शिष्टाचारं संरक्षेत्।

वस्त्र-संहिता

विशेषतः कक्षासु, महाविद्यालय-कार्यक्रमेषु, सार्वजनिक-प्रदर्शनेषु च संस्थायाः गौरवं दर्शति शालीनं उचितं च वस्त्र-संहितायाः पालनं कुर्यात्। प्रदर्शनाय विशेषं वस्त्र-संज्ञादति दिशानिर्देशाः प्रदास्यन्ते।

दूरभाषणी-यन्त्रम्

कक्षासु, संज्ञादति, प्रदर्शनेषु च दूरभाषणी-यन्त्रं संज्ञादति वा निःशब्द-प्रकारे संरक्षितव्यम् यथा व्यवधानं न भवति।

मादक-द्रव्य-सेवनम्

महाविद्यालय-परिसरे वा महाविद्यालयेन संज्ञादति गतिविधीषु शराबस्य, अवैध-औषधानां, अन्यं च नशीलीय-द्रवस्य सेवनं धारणं वा कठोरतः निषिद्धं भवति।

रैगिंग

रैगिंगं येन केन प्रकारेण गम्भीरं अपराधं भवति च कठोरतः निषिद्धं। रैगिंगे कस्यचित् संज्ञादति शासकीय-नियमभ्यः गम्भीरं अनुशासनात्मकं कार्यवाही भविष्यति।

दुर्व्यवहार-विज्ञापनम्

दुर्व्यवहारस्य, उत्पीड़नस्य, सुरक्षाचिन्तायाः वा कस्यचित् घटनायाः सूचना तत्क्षणं अधिष्ठातृभ्यः, विभागाध्यक्षेभ्यः, रैगिंग-विरोधि-समित्यै, महिला-शिकायत-प्रकोष्ठाय वा दातव्या।

शैक्षणिक-कर्मचारिभ्यः

व्यावसायिक-आचरणम्

शिक्षणे, अनुसंधाने, छात्रैः, सहकर्मिभिः, प्रशासनेन च संज्ञादति व्यावसायिकतायाः उच्चतमं मानकं संरक्षेत्।

निष्पक्षता

कस्यचित् वैयक्तिक-लक्षणस्य आधारेण किमपि पूर्वाग्रहं भेदभावं वा विना सर्वं छात्रैः संनादति निष्पक्षं समं च व्यवहरेत्।

पाठ्यक्रम-वितरणम्

पाठ्यक्रमं प्रभावशालितया संनादति, गम्भीरं चिन्तनं, कलात्मक-कौशल-विकासं, संगीतस्य प्रति प्रेमं च संवर्धयेत्।

गोपनीयता

छात्र-अभिलेखानां संनादति संवेदनशीलं महाविद्यालय-ज्ञानस्य गोपनीयतां संरक्षेत्।

परामर्शः मार्गदर्शनं च

छात्रेभ्यः प्रभावशालि परामर्शं मार्गदर्शनं च प्रददाति, तेषां शैक्षणिकं, कलात्मकं, वैयक्तिकं च विकासं संवर्धयेत्।

नैतिकं अनुसंधानम्

किमपि अनुसंधानं नैतिकरूपेण संनादति, स्रोतेभ्यः सहकर्मिभ्यः च उचितं श्रेयं प्रददाति।

नीतीनां पालनम्

सर्वं महाविद्यालय-नीतीनां, नियमं, विनियमं च कठोरतः पालति, तासां सुधाराय च योगदानं ददाति।

पाठ्यक्रम-वितरणम्

पाठ्यक्रमं प्रभावशालितया संनादति, गम्भीरं चिन्तनं, कलात्मक-कौशल-विकासं, संगीतस्य प्रति प्रेमं च संवर्धयेत्।

अशैक्षणिक-कर्मचारिभ्यः

परिश्रमः दक्षता च

महाविद्यालयस्य सुचारु-कार्यकरणस्य समर्थनेन परिश्रमेण, दक्षतया, समर्पणेन च कर्तव्यानां पालनं कुर्यात्।

व्यावसायिक-आचरणम्

छात्रैः, संकायेन, आगन्तुकैः, अन्यैः कर्मचारिभिश्च संनादति व्यावसायिकं विनम्रं च आचरणं संरक्षेत्।

गोपनीयता

संवेदनशीलं महाविद्यालय-वैयक्तिक-ज्ञानस्य गोपनीयतां संरक्षेत्।

संसाधन-प्रबन्धनम्

महाविद्यालयस्य सम्पत्तिं संसाधनं च उत्तरदायित्वेन दक्षतया च संनादति।

सहायता-सेवा:

छात्रेभ्यः संकायाय च प्रभावशालिनीं समयेन च सहायता-सेवाः प्रददाति, सकारात्मकं शिक्षण-वातावरणाय योगदानं ददाति।

नीतीनां पालनम्

सर्वं महाविद्यालय-प्रशासकीय-नीतीनां प्रक्रियानां च कठोरतः पालनं कुर्यात्।

प्राचार्याय

दूरदर्शि-नेतृत्वम्

स्पष्टं दृष्टिकोणेन महाविद्यालयस्य नेतृत्वं कुर्यात्, उच्चं शैक्षणिकं कलात्मकं च मानकं स्थापयति, निरन्तरं सुधाराय नवाचाराय च वातावरणं संवर्धयति।

सत्यनिष्ठा नैतिकता च

सर्वं व्यावसायिकं वैयक्तिकं च व्यवहारे सत्यनिष्ठायाः, ईमानस्य, नैतिक-आचरणस्य च उच्चतमं स्तरं प्रदर्शति। हित-संनादति परिहरेत्।

निष्पक्षता

सर्वं निर्णय-प्रक्रियासु निष्पक्षतायाः, वस्तुनिष्ठतायाः, समतायाः च संनादति कार्यति, सर्वं प्रति समं व्यवहारं सुनिश्चितति।

कर्मचारी-सम्बन्धः

सर्व संकाय-कर्मचारी-सदस्यैः संनादति सौहार्दपूर्ण व्यावसायिकं च सम्बन्धं संरक्षेत्, चिन्तानां तत्क्षणं निष्पक्षं च समाधानं कुर्यात्।

नियम-पालनम्

छत्तीसगढ-शासनेन, विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोगेन, अन्यैः च संनादति शैक्षिक-सङ्घैः प्रदत्तं सर्व नियमं, विनियमं, अधिनियमं, दिशानिर्देशं च कठोरतः पालितं सुनिश्चितति।

सामुदायिक-संनादति

स्थानीय-समुदायेन संनादति सकारात्मकं सम्बन्धं निर्माति, महाविद्यालयस्य सांस्कृतिक-भूमिकां संवर्धयति, प्रसार-गतिविधीषु च संनादति।

आगन्तुकेभ्यः

महाविद्यालय-नियम-सम्मानम्

सर्व आगन्तुकेभ्यः अपेक्ष्यते यत् परिसरे संनादति महाविद्यालयस्य नियमं विनियमं च सम्मानति।

भ्रमण-उद्देश्यम्

आगन्तुकेभ्यः स्व-भ्रमणस्य उद्देश्यं स्पष्टं निरूपणीयं, सम्बद्ध-प्राधिकारिभ्यः आवश्यकं अनुज्ञां च प्राप्नुयात्।

आचरणम्

स्व-यात्रायां सम्मानपूर्णं उचितं च आचरणं संरक्षेत्। किमपि विघटकं अनुचितं वा आचरणं न संनादति।

पहचानम्

आगन्तुकेभ्यः महाविद्यालय-प्रवेश-द्वारेषु वैधं पहचानं दर्शनीयं, प्रवेश/निर्गमन-लेखनं च कर्तव्यम्।

आचार-संहिता-उल्लङ्घनम्

एतस्य आचार-संहितायाः किमपि उल्लङ्घनं गम्भीरतया दृष्टं भविष्यति, अपराधस्य गम्भीरतायाः आधारेण अनुशासनात्मकं कार्यवाही भवितुं शक्ति, यत्र चेतावनीतः आरभ्य निलम्बनं, निष्कासनं, सेवा-समाप्तिः, कानूनीय-कार्यवाही च संनादति। अनुशासनात्मकं कार्यवाही महाविद्यालयस्य अनुशासन-प्रक्रियानां, लागु शासकीय-नियमानां विनियमानां च अनुसारं भविष्यति।

समीक्षा संशोधनं च

एषा आचार-संहिता समयेन समयेन समीक्षिता भविष्यति, महाविद्यालय-प्रशासनेन, उच्च-शिक्षा-विभागेन, छत्तीसगढ-शासनेन संनादति, तस्य निरन्तरं प्रासङ्गिकतां प्रभावशीलतां च सुनिश्चितुं आवश्यकं माने तदा संशोधनं कर्तुं शक्ति।

घोषणा

दुर्गस्य शासकीय-सङ्गीत-महाविद्यालये सर्वे महाविद्यालयस्य छात्राः, शिक्षक-कर्मचारी, अशैक्षिक-कर्मचारी, आगन्तुकाः च प्राचार्यश्च एतां नीति-सङ्ग्रहं पठित्वा, संनादति च पालनीयं स्वीकृतं भविष्यति।